



मध्यप्रदेश शासन

प्रदेश में क्लस्टर्स विकास का परिदृश्य




सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग

विवरणिका (राज्य क्लस्टर्स एवं MSE-CDP)

क्र	क्लस्टर का प्रकार	क्लस्टर की संख्या	संभावित रोजगार
1	राज्य क्लस्टर	76	170631
2	MSE-CDP के क्लस्टर	24	27344
	कुल	100	197975

Clusters in State

■ State Cluster ■ No Cluster ■ State Cluster+MSE-CDP ■ MSE-CDP



राज्य कलस्टर्स

क्र	Category	कलस्टर की संख्या	कुल क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	संभावित रोजगार	संभावित निवेश (करोड में)	संभावित इकाई	लेआउट अनुमोदित	
1	स्वीकृत कलस्टर	निजी विकासक द्वारा विकसित	19	122.2688	33495	4184.7	895	12
		शासकीय भूमि पर विकसित	12	359.938	28836	2059.17	730	02
		कुल स्वीकृत कलस्टर्स	31	482.2068	62331	6243.87	1625	14
2	स्वीकृति प्रक्रियाधीन हेतु		27	867.363	100500	7509	819	-
3	कलस्टर्स के प्रस्ताव प्राप्त, भूमि का चिन्हांकन प्रक्रियाधीन		18	274.312	7800	465	665	-
	कुल		76	1623.89	170631	14217.87	3109	14

राज्य कलस्टर्स

Category - 1

स्वीकृत कलस्टर

राज्य क्लस्टरर्स

7

क्र	निजी औद्योगिक क्षेत्र एवं उत्पाद का नाम	स्थल	भूमि का विवरण	वर्तमान स्थिति	रिमार्क	संभावित रोजगार	संभावित निवेश (करोड में)	संभावित इकाई
1	मेसर्स एस. एस. इन्फ्रास्ट्रक्चर, (बहु उत्पाद क्लस्टर)	ग्राम असरावद बुजुर्ग, इंदौर	7.549 हे. (निजी भूमि)	विकासक द्वारा औद्योगिक पार्क के विकास पर लगभग 5.02 करोड़ रुपए का व्यय होगा। विकासक को मध्य प्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2019 के तहत संचालनालय के पत्र दिनांक 29.07.2021 से अनुमति जारी की गयी। सड़क निर्माण का कार्य पूर्ण। विद्युत कनेक्शन प्राप्त होना शेष। क्लस्टर का लोकार्पण दिनांक 29.09.2022 को माननीय मुख्यमंत्रीजी द्वारा किया गया है।	विकास कार्य पूर्ण	450	100	30
2	मेसर्स एजिस लाइफस्टाइल, (बहु उत्पाद क्लस्टर)	ग्राम भांगिया, इंदौर	5.509 हे. (निजी भूमि)	औद्योगिक पार्क में 58 औद्योगिक भूखंड होंगे। विकासक द्वारा औद्योगिक पार्क के विकास पर लगभग 11.9 करोड़ रुपए का व्यय होगा। विकासक को मध्य प्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2019 के तहत संचालनालय के पत्र दिनांक 03.02.2021 से अनुमति जारी की गयी। विद्युत् व्यवस्था विकास कार्य प्रगति पर। शेष अधोसंरचना विकास कार्य पूर्ण। क्लस्टर का लोकार्पण दिनांक 29.09.2022 को माननीय मुख्यमंत्रीजी द्वारा किया गया है।	विकास कार्य पूर्ण	1000	80	5
3	मेसर्स. व्यंकटेश इंडस्ट्रियल क्रिएशन प्रा. लि. (गामा औद्योगिक पार्क), (बहु उत्पाद क्लस्टर)	इंदौर-उज्जैन हाईवे, इंदौर	4.95 हे. (निजी भूमि)	गामा औद्योगिक पार्क में 53 औद्योगिक भूखंड होंगे। विकासक द्वारा औद्योगिक पार्क के विकास पर लगभग 6.68 करोड़ रुपए का व्यय होगा। विकासक को मध्य प्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2021 के तहत संचालनालय के पत्र क्रमांक 768 दिनांक 22.02.2022 से अनुमति जारी की गयी। क्लस्टर का लोकार्पण दिनांक 29.09.2022 को माननीय मुख्यमंत्रीजी द्वारा किया गया है।	विकास कार्य पूर्ण	2000	150	53

राज्य क्लस्टरर्स

8

क्र	क्लस्टर एवं उत्पाद का नाम	स्थल	भूमि का विवरण	वर्तमान स्थिति	रिमार्क	संभावित रोजगार	संभावित निवेश (करोड में)	संभावित इकाई
4	बहु-उत्पाद क्लस्टर	केशरपुरा, नीमच	5.65 हे.	दिनांक 11/03/2022 को विकास अनुमति प्रदान की गयी। विकास कार्य अंतर्गत सीमांकन हो गया है। क्लस्टर का भूमिपूजन / शिलान्यास दिनांक 29.09.2022 को माननीय मुख्यमंत्रीजी द्वारा किया गया है।	जुलाई 2023 तक क्लस्टर के अधोसंरचना विकास कार्य पूर्ण करा लिए जाएंगे।	663	42	5
5	बहु-उत्पाद क्लस्टर	सगराना, नीमच	9.90 हे.	दिनांक 11/03/2022 को विकास अनुमति प्रदान की गयी। विकास कार्य अंतर्गत बाउंड्री वर्क का कार्य पूर्ण। क्लस्टर का भूमिपूजन / शिलान्यास दिनांक 29.09.2022 को माननीय मुख्यमंत्रीजी द्वारा किया गया है।	जुलाई 2023 तक क्लस्टर के अधोसंरचना विकास कार्य पूर्ण करा लिए जाएंगे।	688	47	5

राज्य कलस्टर्स

9

क्र	कलस्टर एवं उत्पाद का नाम	स्थल	भूमि का विवरण	वर्तमान स्थिति	रिमार्क	संभावित रोजगार	संभावित निवेश (करोड में)	संभावित इकाई
6	फर्नीचर कलस्टर,	बेटमाखुर्द, इंदौर	190.345 हे.	शासन द्वारा 25 अक्टूबर 2021 को स्वीकृत। सड़क निर्माण एवं जलप्रदाय हेतु राशि 7.91 करोड़ एवं 4.66 करोड़ आवंटित। कलस्टर का भूमिपूजन / शिलान्यास दिनांक 29.09.2022 को माननीय मुख्यमंत्रीजी द्वारा किया गया है। 22 हेक्टेयर भूमि का कब्जा प्राप्त	<p>प्रथम चरण- 22 हे. भूमि पर अधो. विकास सितम्बर 2023 तक पूर्ण हो जाएगा। वन विभाग से शेष भूमि प्राप्त करने हेतु वैकल्पिक भूमि उपलब्ध कराने की कार्यवाही की जा रही है। इस हेतु खरगोन जिले में 130 हेक्टेयर भूमि चिन्हित कर जिला कलेक्टर को प्रस्ताव भेजा गया है। वन विभाग से ही टोपोशीट प्राप्त की गयी है। खरगोन जिले में वैकल्पिक रिपोर्ट के सम्बन्ध में तहसीलदार से प्रतिवेदन प्राप्त होना शेष है।</p> <p>द्वितीय एवं तृतीय चरण- प्रथम चरण के पश्चात अधो. विकास का कार्य पूर्ण किया जाएगा।</p>	10000	600	200

राज्य क्लस्टर्स

10

क्र	निजी औद्योगिक क्षेत्र एवं उत्पाद का नाम	स्थल	भूमि का विवरण	वर्तमान स्थिति	रिमार्क	संभावित रोजगार	संभावित निवेश (करोड में)	संभावित इकाई
7	मेसर्स त्रिमूर्ति डेवलपर्स, (बहु उत्पाद क्लस्टर)	ग्राम भांगिया, तहसील मल्हारगंज, जिला इंदौर	6.821 हे. (निजी भूमि)	औद्योगिक पार्क में 57 औद्योगिक भूखंड होंगे। विकासक द्वारा औद्योगिक पार्क के विकास पर लगभग 5.58 करोड़ रुपए का व्यय होगा। विकासक को मध्य प्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2019 के तहत संचालनालय के पत्र दिनांक 26.11.2020 से अनुमति प्रदान की गई।	विकास कार्य पूर्ण	1000	100	57

राज्य क्लस्टर्स

11

क्र	औद्योगिक पार्क एवं उत्पाद का नाम	स्थल	भूमि का विवरण	वर्तमान स्थिति	रिमार्क	प्रस्तावित रोजगार	संभावित निवेश (करोड में)	संभावित इकाई
8	मां शैलपुत्री, इंडस्ट्रियल एरिया, पीलखेड़ी (बहुमंजिला औद्योगिक परिसर),	ग्राम गीलाखेड़ी, राजगढ़ (बहु उत्पाद क्लस्टर)	10000 वर्गफीट (निजी भूमि) 0.093 हे.	विकासक द्वारा 10,000 वर्गफीट क्षेत्रफल पर तीन मंजिला औद्योगिक कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जायेगा जिसमें 12 हॉल होंगे जिनमें इकाईयां स्थापित होंगी। बहुमंजिला औद्योगिक परिसर के निर्माण में लगभग 4.97 करोड़ रुपये व्यय होंगे। विकासक को मध्य प्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2021 के तहत संचालनालय के पत्र क्रमांक 771 दिनांक 22.02.2022 से अनुमति जारी की गयी। विकास कार्य अंतर्गत सिर्फ बाउंड्री वर्क का कार्य पूर्ण। शेष कार्य शुरु नहीं हुआ है। क्लस्टर का भूमिपूजन / शिलान्यास दिनांक 29.09.2022 को माननीय मुख्यमंत्रीजी द्वारा किया गया है।	सितम्बर 2023 तक क्लस्टर के अधोसंरचना विकास कार्य पूर्ण करा लिए जाएंगे। विकासकों द्वारा विकास कार्य हेतु बैंक से लोन प्राप्त करने की कार्यवाही की जा रही है।	200	10	6

राज्य क्लस्टरर्स

12

क्र	औद्योगिक पार्क एवं उत्पाद का नाम	स्थल	भूमि का विवरण	वर्तमान स्थिति	रिमार्क	प्रस्तावित रोजगार	संभावित निवेश (करोड में)	संभावित इकाई
9	ग्रीन क्लस्टर, (बहु उत्पाद क्लस्टर)	ग्राम-जलकुआं, खंडवा	3.23 हे. (निजी भूमि)	जिले से प्रस्ताव दिनांक 07.01.2022 को प्राप्त। प्राप्त प्रस्ताव अनुसार निजी निवेशक द्वारा स्वयं की लगभग 8 एकड़ भूमि पर कृषि अपशिष्ट आधारित विनिर्माण इकाइयों का क्लस्टर विकसित किया जाएगा। संचालनालय के पत्र दिनांक 03.02.2022 से विकासक को नियमानुसार वित्तीय सहायता दिया जाने की सहमति दी गई। ऋण स्वीकृत एवम् विकास कार्य शुरू हो गया है।अप्रोच रोड़ हेतु SPV ज़मीन खरीदेगी अथवा लीज पर लेगी। क्लस्टर का भूमिपूजन / शिलान्यास दिनांक 29.09.2022 को माननीय मुख्यमंत्रीजी द्वारा किया गया है।	03.03.2023 को विकास अनुमति जारी की गयी अप्रैल 2024 तक क्लस्टर के अधोसंरचना विकास कार्य पूर्ण करा लिए जाएंगे। विकासकों द्वारा विकास कार्य हेतु बैंक से लोन प्राप्त करने की कार्यवाही की जा रही है। नक्शा तैयार कर लिया गया है। भूमि की फेंसिंग एवं समतलीकरण का कार्य किया जा रहा है।	240	35	24

राज्य क्लस्टर्स

13

क्र	औद्योगिक पार्क एवं उत्पाद का नाम	स्थल	भूमि का विवरण	वर्तमान स्थिति	रिमार्क	प्रस्तावित रोजगार	संभावित निवेश (करोड में)	संभावित इकाई
10	विशालाक्षी डेवलपर्स कंपनी	ग्राम तानपुरा, जिला शिवपुरी	2.08 हे. (निजी भूमि)	विकासक को मध्य प्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2021 के तहत संचालनालय के पत्र क्रमांक 1596 दिनांक 30.03.2022 से अनुमति जारी की गयी। नगर तथा ग्राम निवेश से अनुमति प्राप्त होना शेष। क्लस्टर का भूमिपूजन / शिलान्यास दिनांक 29.09.2022 को माननीय मुख्यमंत्रीजी द्वारा किया गया है।	सितम्बर 2023 तक क्लस्टर के अधोसंरचना विकास कार्य पूर्ण करा लिए जाएंगे। नक्शा अनुमोदन की कार्यवाही की जा रही है।	150	25	25

राज्य क्लस्टर

14

क्र	औद्योगिक पार्क एवं उत्पाद का नाम	स्थल	भूमि का विवरण	वर्तमान स्थिति	रिमार्क	प्रस्तावित रोजगार	संभावित निवेश (करोड़ में)	संभावित इकाई
11	टेक्सटाइल क्लस्टर	बुरहानपुर	23.02 हे. (निजी भूमि)	फेयर-डील एक्सपोर्ट्स को-ओपरेटिव सोसाइटी बुरहानपुर द्वारा स्वयं की लगभग 23.02 हे. भूमि पर टेक्सटाइल क्लस्टर का विकास प्रस्तावित किया गया है। सोसाइटी द्वारा प्रस्तावित क्लस्टर के बाह्य औद्योगिक संरचना के राज्य शासन के व्यय से विकसित करने तथा क्लस्टर अंतर्गत प्रस्तावित इकाइयों को नीति से परे विशिष्ट सुविधाएं स्वीकृत करने का अनुरोध किया गया है। शासन द्वारा 30 मई 2022 को स्वीकृत। क्लस्टर का भूमिपूजन / शिलान्यास दिनांक 29.09.2022 को माननीय मुख्यमंत्रीजी द्वारा किया गया है।	प्रथम चरण का विकास कार्य सितम्बर 2023 तक पूर्ण कर लिया जाएगा। कंसलटेंट का चयन कर लिया गया है। विकास कार्य शीघ्र प्रारम्भ किया जाएगा	4000	220	127

राज्य क्लस्टर्स

15

क्र	औद्योगिक पार्क एवं उत्पाद का नाम	स्थल	भूमि का विवरण	वर्तमान स्थिति	रिमार्क	प्रस्तात रोजगार	संभावित निवेश (करोड में)	संभावित इकाई
12	टेक्सटाइल क्लस्टर	सुखपुरी, बुरहानपुर	63.06 हे.	शासन द्वारा 14 जून 2022 को स्वीकृत। क्लस्टर का भूमिपूजन / शिलान्यास दिनांक 29.09.2022 को माननीय मुख्यमंत्रीजी द्वारा किया गया है।	विकास कार्य 3 चरणों में किया जाएगा- प्रथम चरण का कार्य सितम्बर 2023 तक पूर्ण किये जाने की सम्भावना है। अनुबंध हेतु जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र में प्रारूप प्रस्तुत किया गया है।	7600	896	250
13	टॉय क्लस्टर	रंगवासा, इंदौर	3.65 हे.	शासन द्वारा 14 जून 2022 को स्वीकृत। क्लस्टर का भूमिपूजन / शिलान्यास दिनांक 27.08.2022 को माननीय मुख्यमंत्रीजी द्वारा किया गया है।	खिलौना इकाईयो के पक्ष में दिनांक 22/07/2022 को लीज डीड निष्पादित कर भूमि आवंटन की प्रक्रिया जिला कार्यालय से पूर्ण कर दी गयी है। सड़क निर्माण कार्य एवं अन्य सुविधाओं के निर्माण हेतु लघु उद्योग निगम को राशि रु 2.84 करोड़ प्रदान किये गये है, निर्माण कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है। जलप्रदाय हेतु कार्य चल रहा है।	3400	70	20

राज्य क्लस्टर्स

16

क्र	औद्योगिक पार्क एवं उत्पाद का नाम	स्थल	भूमि का विवरण	वर्तमान स्थिति	रिमार्क	प्रस्तावित रोजगार	संभावित निवेश (करोड में)	संभावित इकाई
14	मालवा गारमेंट क्लस्टर (फ्लैट्टेड उद्योग)	भागीरथ पुरा, इंदौर (निजी भूमि)	9.584 हे.	विकासक द्वारा विकसित फ्लैट्टेड बहुमंजिला इमारत में रेडीमेड गारमेंट निर्माण की 177 औद्योगिक इकाई होंगी। विकासक को मध्य प्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2021 के तहत संचालनालय के पत्र क्रमांक 4789 दिनांक 04.08.2022 से अनुमति जारी की गयी। क्लस्टर का भूमिपूजन / शिलान्यास दिनांक 29.09.2022 को माननीय मुख्यमंत्रीजी द्वारा किया गया है।	अगस्त 2024 तक क्लस्टर के अधोसंरचना विकास कार्य पूर्ण करा लिए जाएंगे।	10000	2500	177

राज्य क्लस्टर्स

17

क्र	औद्योगिक पार्क एवं उत्पाद का नाम	स्थल	भूमि का विवरण	वर्तमान स्थिति	रिमार्क	प्रस्तावित रोजगार	संभावित निवेश (करोड़ में)	संभावित इकाई
15	बहमंजिला मैडिकल डिवाइस क्लस्टर	आदमपुर, रायसेन रोड़ भोपाल (निजी भूमि)	0.096 हे.	विकासक द्वारा 10,000 वर्गफीट क्षेत्रफल पर दो मंजिला औद्योगिक कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जाना एवम् 5 इकाईयां स्थापित कराना प्रस्तावित है। दिनांक 01/08/2022 को विकास अनुमति प्रदान की गयी। क्लस्टर का भूमिपूजन / शिलान्यास दिनांक 29.09.2022 को माननीय मुख्यमंत्रीजी द्वारा किया गया है।	अप्रैल 2024 तक क्लस्टर के अधोसंरचना विकास कार्य पूर्ण करा लिए जाएंगे।	100	10	5
16	श्री वैष्णव msme इंडस्ट्रियल पार्क	ग्राम राजोदा, तहसील सांवेर, इंदौर (निजी भूमि)	2.135 हे.	विकासक द्वारा 2.135 हेक्टेयर क्षेत्रफल पर निजी औद्योगिक क्लस्टर निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। दिनांक 01/08/2022 को विकास अनुमति प्रदान की गयी। क्लस्टर का भूमिपूजन / शिलान्यास दिनांक 29.09.2022 को माननीय मुख्यमंत्रीजी द्वारा किया गया है।	जनवरी 2024 तक क्लस्टर के अधोसंरचना विकास कार्य पूर्ण करा लिए जाएंगे। सड़क, विद्युतीकरण एवं वाटर सप्लाई अधोसंरचना का विकास कार्य किया जा रहा है।	4500	50	15

राज्य क्लस्टर्स

18

क्र	औद्योगिक पार्क एवं उत्पाद का नाम	स्थल	भूमि का विवरण	वर्तमान स्थिति	रिमार्क	प्रस्तावि त रोजगार	संभावित निवेश (करोड में)	संभावित इकाई
17	चित्रांश सेल्स कॉर्पोरेशन, खाद्य प्रसंस्करण क्लस्टर	बैरसिया, भोपाल (निजी भूमि)	2.503 8 हे.	चित्रांश सेल्स कॉर्पोरेशन तहसील बैरसिया जिला भोपाल का निजी औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना/विकास हेतु आवेदन प्राप्त हुआ है। इसके अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित की जाएंगी। दिनांक 01/08/2022 को विकास अनुमति प्रदान की गयी। क्लस्टर का भूमिपूजन / शिलान्यास दिनांक 29.09.2022 को माननीय मुख्यमंत्रीजी द्वारा किया गया है।	जनवरी 2024 तक क्लस्टर के अधोसंरचना विकास कार्य पूर्ण करा लिए जाएंगे।	55	11	5

राज्य क्लस्टर्स

19

क्र	औद्योगिक पार्क एवं उत्पाद का नाम	स्थल	भूमि का विवरण	वर्तमान स्थिति	रिमार्क	प्रस्तावित रोजगार	संभावित निवेश (करोड में)	संभावित इकाई
18	टॉय क्लस्टर	बुधनी, सीहोर	6 हे.	बांसापुर, बुधनी के समीप 6 हेक्टेयर भूमि का आधिपत्य विभाग को प्राप्त हो चुका है, जिसके लिए 1857.54 लाख की प्रशासकीय एवं 456.02 लाख की वित्तीय स्वीकृति जारी की गई है। नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा दिनांक 06 अप्रैल 2022 को ले-आउट अनुमोदित किया गया है। क्लस्टर का भूमिपूजन / शिलान्यास दिनांक 29.09.2022 को माननीय मुख्यमंत्रीजी द्वारा किया गया है।	क्रियान्वन संस्था मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम द्वारा कार्यादेश जारी। अगस्त 2023 तक क्लस्टर के अधोसंरचना विकास कार्य पूर्ण करा लिए जाएंगे।	1100	10	49

राज्य क्लस्टरर्स

20

क्र	क्लस्टर एवं उत्पाद का नाम	स्थल	भूमि का विवरण	वर्तमान स्थिति	रिमार्क	संभावित रोजगार	संभावित निवेश (करोड में)	संभावित इकाई
19	मेसर्स हैडवे लाइफ साइन्स (फार्मा क्लस्टर)	ग्राम बारला जिला रायसेन	2.851 हे. (निजी भूमि)	मेसर्स हैडवे लाइफ साइन्स द्वारा ग्राम बारला जिला रायसेन स्थित 2.851 हे. निजी भूमि पर फार्मा क्लस्टर विकास हेतु अनुमति चाही गयी है।	प्रकरण में विकास अनुमति दिनांक 14.11.2022 को जारी की गयी जनवरी 2024 तक क्लस्टर के अधोसंरचना विकास कार्य पूर्ण करा लिए जाएंगे।	50	5.96(अधो. विकास में)	05
20	मेसर्स एस.एस. इंफ्रास्ट्रक्चर (खाद्य प्रसंस्करण क्लस्टर)	ग्राम सोनगुराडिया, खुडेल जिला इंदौर	12.814 हे. (निजी भूमि)	मेसर्स एस.एस. इंफ्रास्ट्रक्चर द्वारा ग्राम सोनगुराडिया, खुडेल जिला इंदौर स्थित 12.814 हे. निजी भूमि पर खाद्य प्रसंस्करण क्लस्टर विकास हेतु अनुमति चाही गयी है।	प्रकरण में विकास अनुमति दिनांक 14.11.2022 को जारी की गयी जनवरी 2024 तक क्लस्टर के अधोसंरचना विकास कार्य पूर्ण करा लिए जाएंगे।	2000	5.60 (अधो. विकास में)	119

राज्य कलस्टर्स

21

क्र	कलस्टर एवं उत्पाद का नाम	स्थल	भूमि का विवरण	वर्तमान स्थिति	रिमार्क	संभावित रोजगार	संभावित निवेश (करोड में)	संभावित इकाई
21	सिद्धांचल इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, बहुउत्पाद कलस्टर	ग्राम सिंधीबरोडा, खुड़ैल, इंदौर	8.465 हेक्टेयर (निजी भूमि)	ग्राम सिंधीबरोडा, खुड़ैल ज़िला इंदौर स्थित 8.465 हेक्टेयर निजी भूमि पर बहुउत्पाद कलस्टर विकसित करने की अनुमति चाही गई है	प्रकरण में विकास अनुमति दिनांक 01.12.2022 को जारी की गयी जनवरी 2024 तक कलस्टर के अधोसंरचना विकास कार्य पूर्ण करा लिए जाएंगे।	1500	180	60
22	मेसर्स एस डी टेली मीडिया प्राइवेट लिमिटेड, बहुउत्पाद कलस्टर	ग्राम असरावद बुजुर्ग, खुड़ैल, इंदौर	13.554 हेक्टेयर (निजी भूमि)	ग्राम असरावद बुजुर्ग, खुड़ैल ज़िला इंदौर स्थित 13.554 हेक्टेयर निजी भूमि पर बहुउत्पाद कलस्टर विकसित करने की अनुमति चाही गई है	प्रकरण में विकास अनुमति दिनांक 01.12.2022 को जारी की गयी विकास कार्य पूर्ण	1800	250	74

राज्य क्लस्टरस

22

क्र	क्लस्टर एवं उत्पाद का नाम	स्थल	भूमि का विवरण	वर्तमान स्थिति	रिमार्क	संभावित रोजगार	संभावित निवेश (करोड में)	संभावित इकाई
23	वुडेन फर्नीचर क्लस्टर	कढ़ाई, बैतूल	20 हे.	अनुबंध निष्पादित	शासन द्वारा दिनांक 22.02.2023 को स्वीकृत	2700	71.44	75
24	बहु-उत्पाद क्लस्टर	ग्राम दारु , नीमच	17.26 हे.	अनुबंध निष्पादित	शासन द्वारा दिनांक 22.02.2023 को स्वीकृत	600	35	14

राज्य क्लस्टर

23

क्र	क्लस्टर एवं उत्पाद का नाम	स्थल	भूमि का विवरण	वर्तमान स्थिति	रिमार्क	संभावित रोजगार	संभावित निवेश (करोड में)	संभावित इकाई
25	प्लास्टिक क्लस्टर	नीमनबासा, उज्जैन	2.933 हे.	अनुबंध निष्पादित	शासन द्वारा दिनांक 22.02.2023 को स्वीकृत	385	25.73	32
26	शिवाय इंडस्ट्रियल पार्क (सैम इंडस्ट्रीज लिमिटेड) इंदौर	ग्राम हंसाखेड़ी इंदौर	9.75 हेक्टेयर (निजी)	प्रकरण में विकास अनुमति दिनांक 03.03.2023 को जारी की गयी	जुलाई 2023 तक क्लस्टर के अधोसंरचना विकास कार्य पूर्ण करा लिए जाएंगे।	3200	150	68
27	बहुमंजिला, बहु उत्पाद क्लस्टर	टिमरनी, हरदा	0.097 हेक्टेयर (10393 वर्गफीट) (निजी भूमि)	श्री निलेश कुमार अग्रवाल द्वारा टिमरनी, जिला हरदा स्थित 0.097 हेक्टेयर/ 10393 वर्गफीट निजी भूमि पर बहुमंजिला, बहु उत्पाद क्लस्टर निर्माण करने की अनुमति चाही गयी है, प्रकरण में विकास अनुमति दिनांक 29.03.2023 को जारी	मई 2024 तक क्लस्टर के अधोसंरचना विकास कार्य पूर्ण करा लिए जाएंगे।	50	2.5	5

राज्य क्लस्टर


24

क्र	क्लस्टर एवं उत्पाद का नाम	स्थल	भूमि का विवरण	वर्तमान स्थिति	रिमार्क	संभावित रोजगार	संभावित निवेश (करोड में)	संभावित इकाई
28	बहु उत्पाद क्लस्टर	मल्खानपुरा, बानमोर, मुरैना	20.07 हेक्टेयर	शासन द्वारा दिनांक 09.05.2023 को स्वीकृत	अनुबंध निष्पादित करने की कार्यवाही की जाना है	1200	180	60
29	बहु उत्पाद क्लस्टर	दुधवा मनासा, नीमच	15 हे.	शासन द्वारा दिनांक 09.05.2023 को स्वीकृत	अनुबंध निष्पादित	250	50	10
30	बहु उत्पाद क्लस्टर	ग्राम अमझोरा, सरदारपुर, धार	6.07 हे.	शासन द्वारा दिनांक 09.05.2023 को स्वीकृत	अनुबंध निष्पादित	250	32	10
31	मेसर्स Accrual Realities Pvt Ltd बहु उत्पाद क्लस्टर	ग्राम बरदारी, इंदौर	6.294 हेक्टेयर (निजी भूमि)	प्रस्तुतीकरण उपरान्त विकास अनुमति 09.05.2023 को जारी	क्लस्टर अंतर्गत अधोसंरचना विकास कार्य मई 2024 तक पूर्ण किए जाएंगे	1200	300	35

MSE-CDP के क्लस्टर्स

क्र	Category	क्लस्टर की संख्या	अधोसंरचना विकास	काँमन फैसिलिटी सेंटर	संभावित रोजगार
1	स्वीकृत क्लस्टर	13	11	2	16239
2	स्वीकृति हेतु प्रक्रियाधीन	2	2	0	3385
3	नवीन तैयार किए गए प्रस्ताव	2	1	1	2120
4	नवीन चिन्हांकित क्लस्टर्स	7	1	6	5600
कुल		24	15	9	27344

MSE-CDP Clusters



MSE-CDP के क्लस्टर्स

Category - 1

स्वीकृत क्लस्टर

MSE-CDP के क्लस्टर्स

क्र	क्लस्टर एवं उत्पाद का नाम	स्थल	क्लस्टर की श्रेणी	वर्तमान स्थिति	रिमार्क	संभावित रोजगार
1	मिष्ठान एवं नमकीन क्लस्टर	जबलपुर	CFC	SPV को प्रदेश के अंशदान के रूप में भूमि आवंटित की जा चुकी है। SPV द्वारा दस्तावेज़ अपेक्षित है।	SPV से दस्तावेज़ प्राप्त होने उपरांत ही NLSC में प्रस्तुत किया जावेगा।	1900
2	इंजीनियरिंग क्लस्टर गोविंदपुरा	भोपाल	CFC	SPV को प्रदेश के अंशदान के रूप में भूमि आवंटित की जा चुकी है।	प्रदूषण निवारण मण्डल की NOC एवं त्रि-स्तरीय अनबंध SPV से अपेक्षित	2250
3	कृषि आधारित औद्योगिक संस्थान सनावद	खरगौन	IA	औद्योगिक अधोसंरचना के विकास कार्य प्रारम्भ किए जा चुके हैं।	जून 2023 तक निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा।	350

MSE-CDP के क्लस्टर्स

क्र	क्लस्टर एवं उत्पाद का नाम	स्थल	क्लस्टर की श्रेणी	वर्तमान स्थिति	रिमार्क	संभावित रोजगार
4	खाद्य प्रसंस्करण औद्योगिक संस्थान कचनारिया	राजगढ़	IA	औद्योगिक अधोसंरचना के विकास कार्य प्रारम्भ किए जा चुके हैं।	जून 2023 तक निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा।	300
5	इलेक्ट्रिकल एवं मैकेनिकल औद्योगिक संस्थान	बैतूल	IA	औद्योगिक अधोसंरचना के विकास कार्य प्रारम्भ किए जा चुके हैं।	जून 2023 तक निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा।	350
6	लाख औद्योगिक संस्थान अकोड़ी	बालाघाट	IA	औद्योगिक अधोसंरचना के विकास कार्य प्रारम्भ किए जा चुके हैं।	जून 2023 तक निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा।	160

MSE-CDP के क्लस्टर्स

32

क्र	क्लस्टर एवं उत्पाद का नाम	स्थल	क्लस्टर की श्रेणी	वर्तमान स्थिति	रिमार्क	संभावित रोजगार
7	औद्योगिक क्षेत्र, मोहम्मदपुरा	बुरहानपुर	IA	औद्योगिक अधोसंरचना के विकास कार्य प्रारम्भ किए जा चुके हैं।	जून 2023 तक निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा।	10000
8	औद्योगिक क्षेत्र अशोकनगर	अशोकनगर	IA (अधो. उन्नयन)	औद्योगिक अधोसंरचना के विकास कार्य प्रारम्भ किए जा चुके हैं।	जून 2023 तक निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा।	151
9	औद्योगिक क्षेत्र क्र. 1, देवास	देवास	IA (अधो. उन्नयन)	औद्योगिक अधोसंरचना के विकास कार्य प्रारम्भ किए जा चुके हैं।	जून 2023 तक निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा।	150

MSE-CDP के क्लस्टर्स

33

क्र	क्लस्टर एवं उत्पाद का नाम	स्थल	क्लस्टर की श्रेणी	वर्तमान स्थिति	रिमार्क	संभावित रोजगार
10	औद्योगिक क्षेत्र मक्सी रोड	उज्जैन	IA (अधो. उन्नयन)	औद्योगिक अधोसंरचना के विकास कार्य प्रारम्भ किए जा चुके हैं।	जून 2023 तक निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा।	138
11	औद्योगिक क्षेत्र चंद्रपुरा	छतरपुर	IA (अधो. उन्नयन)	औद्योगिक अधोसंरचना के विकास कार्य प्रारम्भ किए जा चुके हैं।	जून 2023 तक निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा।	290
12	औद्योगिक क्षेत्र मटेहना	सतना	IA (अधो. उन्नयन)	औद्योगिक अधोसंरचना के विकास कार्य प्रारम्भ किए जा चुके हैं।	जून 2023 तक निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा।	100
13	औद्योगिक क्षेत्र गोविंदपुरा	भोपाल	IA (अधो. उन्नयन)	औद्योगिक अधोसंरचना के विकास कार्य प्रारम्भ किए जा चुके हैं।	सितंबर 2023 तक निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा।	100

धन्यवाद

मध्यप्रदेश एमएसएमई को
औद्योगिक भूमि तथा भवन
आवंटन एवं प्रबंधन नियम,

2021

क्लस्टर विकास

आवश्यकता-

- शासन के सीमित वित्तीय संसाधन
- विकासक द्वारा स्थानीय मांग एवं आवश्यकतानुसार क्लस्टर का विकास
- शासन एवं उद्यमियों की सहभागिता

परिभाषायें

- **क्लस्टर** - औद्योगिक क्षेत्र जिसमें न्यूनतम 80% क्षेत्र सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम इकाइयों के लिये आरक्षित हों।
- **निवेशक** - जिसके द्वारा भू-खण्ड पर औद्योगिक इकाई स्थापित की जायेगी ।
- **विकासक** - एसपीव्ही जो विभाग से अविकसित भूमि प्राप्त कर उसका विकास करने की इच्छुक हो।

एसपीव्ही -

- भारतीय कंपनी अधिनियम - 2013 के खण्ड 8 तहत गठित कंपनी
- एल.एल.पी.एक्ट 2008 के तहत पंजीकृत भागीदारी फर्म
- भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932 के तहत पंजीकृत भागीदारी फर्म।
- म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 के तहत गठित सहकारी समिति
- एसपीव्ही में न्यूनतम 5 सदस्य होना अनिवार्य

आवेदन प्रक्रिया-

- MSME विभाग के स्वामित्व एवं आधिपत्य की अविकसित भूमि
- भूमि का न्यूनतम क्षेत्रफल 5 एकड़
- 15 दिवस पूर्व न्यूनतम 2 समाचार पत्रों एवं विभागीय वेबसाइट पर सूचना का प्रकाशन
- न्यूनतम 21 दिवस तक आवंटन जमा किया जाना
- एसपीव्ही द्वारा ऑनलाईन आवेदन
- आवेदन शुल्क राशि रूपये 10,000/-
- प्रस्तावित अभिन्यास, अनुमानित लागत एवं वित्तीय व्यवस्था की जानकारी
- आवंटन योग्य भूमि को छोड़कर शेष भूमि की प्रब्याजी आवेदन के साथ संलग्न

विकासक द्वारा जमा की जाने वाली राशियां

- आवेदन शुल्क राशि रुपये 10000/-
- आवंटन योग्य भूमि का कलेक्टर गाइड लाईन से असिंचित भूमि के मूल्य का 10% सुरक्षा निधि
- सुरक्षा निधि का निवेशकों को भूमि आवंटन करते समय समानुपातिक रूप से समायोजन
- अनुमति निरस्त होने पर सुरक्षा निधि राजसात

निराकरण की प्रक्रिया

- महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा प्रस्तावों का परीक्षणोपरांत उद्योग आयुक्त को प्रेषण
- उद्योग आयुक्त द्वारा प्रकरण का शासन को प्रेषण
- शासन द्वारा प्रकरणों को राज्य स्तरीय साधिकार समिति को प्रेषण
- राज्य स्तरीय साधिकार समिति द्वारा आवंटन हेतु निर्णय
- विकास हेतु शासन से सबसे कम राशि की मांग करने वाले को प्राथमिकता।
- समान राशि की मांग करने पर चयन लाटरी के माध्यम से।
- 2 वर्षों में विकास पूर्ण कराना

निवेशक को भूमि का आवंटन

- आवंटन अधोसंरचना विकास कार्य पूर्ण करने के पश्चात्
- आवंटन विकासक की सहमति से
- भू-खण्ड की लीजडीड निवेशक के साथ
- निवेशक द्वारा आवंटित भूमि हेतु केवल प्रब्याजी एवं भू-भाटक का भुगतान शासन को।
- निवेशक पर मध्यप्रदेश एमएसएमई को औद्योगिक भूमि तथा भवन प्रबंधन नियम- 2021 के नियम लागू

निवेशक द्वारा जमा की जाने वाली राशियां

- प्रब्याजी-
- औद्योगिक प्रयोजन - असिंचित भूमि हेतु कलेक्टर गाइड लाईन का 25%
- व्यावसायिक एवं वेयर हाउसिंग प्रयोजन- कलेक्टर गाइड लाईन अनुसार व्यावसायिक प्रयोजन की दर से निर्धारित मूल्य
- आवासीय प्रयोजन- कलेक्टर गाइड लाईन अनुसार आवासीय प्रयोजन की दर से निर्धारित मूल्य
- भू-भाटक- प्रब्याजी का 2%

निजी भूमि पर क्लस्टर निर्माण

- म.प्र.एमएसएमई विकास योजना 2021 में निर्धारित प्रपत्र पर उद्योग आयुक्त को आवेदन
- उद्योग आयुक्त द्वारा अनुमति
- विकास कार्य पूर्ण होने के पश्चात् न्यूनतम 5 इकाइयों के उत्पादन में आने के पश्चात् शासन की सहायता।
- भूमि का क्षेत्रफल 5 एकड़ से 10 एकड़ तक होने पर परियोजना लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम 2.5 करोड़ की प्रतिपूर्ति
- भूमि का क्षेत्रफल 10 एकड़ से अधिक होने पर परियोजना लागत का 15 प्रतिशत अधिकतम 5 करोड़ की प्रतिपूर्ति

धन्यवाद

औद्योगिक क्षेत्रों का अभिन्यास -

- आवंटन योग्य भूमि का अधिकतम 10 प्रतिशत लॉजिस्टिक एवं वेयर हाउसिंग हब/पार्क हेतु।
- आवंटन योग्य भूमि का अधिकतम 20 प्रतिशत आवासीय एवं व्यवसायिक प्रयोजन हेतु।
- आवंटन योग्य भूमि का अधिकतम 5 प्रतिशत उद्योग आनुषांगिक प्रयोजन हेतु।
- भवन निर्माण हेतु अधिकतम आच्छादित क्षेत्र 75% एवं न्यूनतम आच्छादित क्षेत्र 50%